भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 108

दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी

†108. डॉ टी॰ सुमति (ए॰) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में अनधिकृत वास्तविक/इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) इन अनधिकृत इलेक्ट्रोंनिक निगरानी के पीड़ितों अथवा उनके व्यवसायों के साथ-साथ इन अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन जिलों की जहां इस प्रकार की अनधिकृत वास्तविक/इलेंक्ट्रोंनिक निगरानी की गई और उन जिलों, जहां कि अनधिकृत वास्तविक/इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के अधीन व्यक्ति अथवा पीड़ित व्यक्ति पाए गए, का ब्यौरा क्या है;

(घ) अनधिकृत वास्तविक/इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की सभी घटनाओं के संबंध में अन्वेषण की स्थिति क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा इस प्रकार की अनधिकृत/इलेंक्ट्रॉनिक निगरानी के खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विधिसम्मत इंटरसेप्शन और मॉनीटरिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, जैसा भी मामला हो, के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही "इंडियन टेलीग्राफ (अमेंडमेंट) रूल्स, 2014" के रूल 419क के साथ पठित इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5(2) तथा "सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना का इंटरसेप्शन, मॉनीटरिंग और डिक्राइप्सन की प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियम, 2009" के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकती है।

लो.सं./अता. प्र.सं.108

विधिविरुद्ध/अनधिकृत इंटरसेप्शन, इंडियन टेलीग्राम एक्ट, 1885 की धारा 25 और 26 के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक आवधिक कारावास, जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा अर्थदंड, अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और राज्य अपने-अपने विधि प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से ऐसे अपराध की रोकथाम करने, उनका पता लगाने और जांच के लिए जिम्मेवार हैं।

******